

**Neha Khan**

प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श - न्याय, स्वतंत्रता, समता और धर्मानुष्ठान - एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारत में इन आदर्शों की प्राप्ति की सीमा का आलीचनात्मक मुक्त्यांकन करें।

~~प्राप्ति को खोगा को आलादनाम् तुलयाप्ति नहीं,~~

वास्तव में यदि हम पक्षताना पहुँच आई थमी तो हम  
मी घटी पाणी की रुक्षित अधिकारी विधान की संस्था विभिन्न करती है।  
संविधान के उद्देश्य, उसमें उल्लिखित व्याय, संवित्त, समाज आदि  
कारणों एवं शायन प्रणाली के व्यवस्था संविधान का अनुप्रयत्न  
करने की तिथि का उत्तरव करती है। इसी हिस्त एक प्रारंभिक  
"मिनी संविधान" भी कह सकते हैं।

बात यदि अस्तावना के मूल शब्दों के एक दूसरे पर निर्भरता की ही तरीकाप्रति इच्छा थी पाया जा सकता है कि कभी शब्द अंशातः अस्तवा पूर्णतः एक दूसरे पर निर्भर है।

उद्धारण — याथ की विना व्यवस्था अर्थहीन है।

क्या हम ऐसी स्वतंत्रता की अर्थपूर्ण मान सकते हैं, जहाँ  
व्याय का कोई स्थान नहीं ?

“अनु - १७ (१) (क) ” हमें अभिव्यक्ति एक वाक की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परन्तु यदि यहाँ न्याय का आभाष ही नहीं लोग एक उसके विरुद्ध वाक्यों का प्रयोग प्रारंभ कर देंगे और व्यवस्था ही अन्त तक ही जारी।

किंतु भव भारत में हम आदर्शों की प्राप्ति की वात आती है, तो हम की पल छहटर्ह हैं और सीधात हैं, जब्या वे अधिकार, जब्या वे स्वतंत्रता, समानता हमें प्राप्त हैं? कभी और हाँ ऐसे कही न के रूप में प्रकट होता है।

हमें प्रदान की गई स्वतंत्रताओं में - "भारत में अवाद्य रूप के संघरण (अनु-(19)(1)(ए))" भी एक स्वतंत्रता है, एवं निः संदेह हमें वे स्वतंत्रता प्रदान भी की गई है, किंतु किस तरीँ आए दिनों मौखिक लिखिंग आदि जौही समाज सामग्री आते हैं और -याचालयों में एक नई "कैस फाइल" शुल्जाती है, जो -याचालयों का वैज्ञ माल बढ़ाती है,

सटकार एवं संविधान ने हमें वाक एवं अभिल्यकित की स्वतंत्रता दी है, परन्तु आज भी लोग -याचालय में जापाई देते हुए, पुलिस की अपना वयान देते हुए धर्यात हैं, भयभी होते हैं, जो कहीं न कहीं स्वतंत्रता एवं न्याय के आदर्शों की प्राप्त करने में हमारी असफलता दर्जाती है। किंतु इसका एक और पहलू है, जिससे हम मुहूँ नहीं मौज़ सकते; और वह है - "अन्याय के विरुद्ध हमारी आपाज।" भारत की जनता अब धीरे-धीरे अपने नी ही अन्यायों की पहचानने में लक्षम है, और उसके विलाप अपनी आपाज खुलंक करने में भी लक्षम है, घटना प्रदर्शन है एवं -याचालय तटीकों के अपनी भावना भी व्यक्त कर लेते हैं लोग, तो अभी की परिरिक्षियों की ध्यान में रख कर वे कहा जा सकता है कि हम अंशान: सफल हैं एवं प्रयासरह हैं।

समानता का अंदूल्य के खुड़ाव भी कुछ इसी प्रकार का है, यदि हम एक प्रखटी की समझेंगे न हम अंदूल्य कैसे थानाएंगे?

संविधान की प्रस्तावना हमसे कहती है, कि - "हम भारत के लोग" अर्थात् "हम सभी", ज्ञानवान् के लैकर शुद्ध तक एवं धनवान् के लैकर निर्दिष्ट तक। प्रस्तावना ने आठम ही ही हम भाटीयों को "हम" के सूत में लाई दिया और अंदूल्य की शुरुआत जी और जब हम आगे अपने संविधान की ओर बढ़ते हैं तो हमें मौलिक अधिकारों के रूप में भी समानता प्रदान की गई है और निः संदेह कदम-कदम पर भारत की जैसा जनाने का ही प्रयास किया जाया है, जैसा कि संविधान निर्माताओं का सपना था।

किंतु अहों प्रश्न ही है कि इसाया द्वारा इस प्रकाश में  
खफल है? अब फिर पढ़ी जाए तो और जाएगा। और लिखित  
में मैडल लाती भाटतीय माहिलाओं में लिखा समानता का  
प्रमाण तो बहुत अच्छे ही रहेगा किंतु आज जी भारत के  
इन राज्यों में जन्मा चुना दिया रहा गवर्नर गवर्नर द्वारा है।  
समानता का यह अलग दी विरीचाभास है, किंतु इस बहुत  
भी नहीं जह लकड़ है कि इस समानता और विद्युत लकड़ी  
में असफल है।

"इस प्रकाशत है", "दमनी अब तक कितना प्राप्त किया  
और दमाटे लिए कितना उपर्याप्त है" इन प्रश्नों को यदि  
एक तरफ इत्यकर इसका शकाटान्ना पहले लिया गया तो  
पाठ्यों के भारत में समानता जी है और विद्युत ही है। इस  
स्वरूप भी है, और इनी द्वारा मानवी जाति ही प्रकाशनी  
में उल्लिखित आकर्षी ली जाए, देख तो दमनी प्राप्त किया  
एवं जह में "इस प्रकाशत है"।

तुम्हारी बुक है प्रारंभ हुआ प्रकाश  
मैरिज लेकर प्रारंभ हुआ प्रकाश  
देखोगा तो भवित्व  
जैसे ऐसा है प्रकाश  
Rex I will deliver in dense

19/38